संख्या-1213/77-3-17-2यूपीडा/12

प्रेषक,

आलोक सिन्हा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
यूपीडा,पर्यटन भवन, गोमतीनगर,
लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-3 **लखनऊःदिनांकः 27 जून, 2017**

विषयः-'आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना' हेतु 'टोल कान्ट्रेक्टर्स' के चयन, एडवान्स्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (एटीएमएस) का प्राविधान, ऑक्जीलरीज़ सुविधाओं/ परिसम्पतियों से मार्ग प्रशुल्क के अतिरिक्त वितीय स्रोत से आय अर्जन तथा परियोजना के लिये आंशिक वित पोषण हेतु हडको से ऋण आदि कार्यों की अद्यतन स्थिति एवं अग्रेत्तर कार्यवाही के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-392/यूपीडा/2013/206, दिनांक 11.05.2017 पत्र संख्या-558/यूपीडा/2013/206, दिनांक 23.05.2017, पत्र संख्या-604/यूपीडा/2013/2016, दिनांक 29.05.2017, पत्र संख्या-679/यूपीडा/2013/206, दिनांक 02.06.2017 एवं पत्र संख्या-681/यूपीडा/ 2013/206, दिनांक 03.06.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रकरण में कतिपय बिन्दुओं पर अनुमोदन प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. संदर्भित पत्रों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त निम्नवत निर्णय लिये गये:-

(1) 'आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना' पर टोलिंग चार्ज करने हेतु एजेन्सी के चयन के सम्बन्ध में कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने एवं टोलिंग चार्ज करने हेतु किसी उपयुक्त एजेन्सी को 5 वर्ष के अनुबन्ध पर नियुक्त करने हेतु चयन की प्रक्रिया तथा परियोजना के लिये टोलिंग कान्ट्रेक्टर के चयन हेतु बिड अभिलेख एन0एच0ए0आई0 द्वारा प्रचलित बिड अभिलेखों में परियोजना विशिष्ट/आवश्यक परिवर्तनों को समाहित करते हुए तैयार किया जाय।

(2) टोल चार्ज एकत्रित करने हेतु इण्डियन टोल एक्ट, 1851 (उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार इ0पी0सी0 पद्धति पर निर्मित एक्सप्रेसवे पर टोल के आरोपण/उद्ग्रहण के लिये शासन में विचार किये जाने हेतु यूपीडा द्वारा प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाए।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) टोल कान्ट्रेक्टर्स के चयन सम्बन्धित विवरण एवं बिडिंग अभिलेख आदि तैयार करने हेतु किसी उपयुक्त परामर्शी के चयन की कार्यवाही नये सिरे से प्रारम्भ की जाय।

(4) 'एडवांस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम' हेतु प्रथम फेज में पूर्व प्रस्तावित इमरजेंसी कॉल बॉक्स की संख्या 151 के स्थान पर 76, क्लोज सर्किट टेलीविजन कैमरा 100 के स्थान पर 50 के प्राविधान को रखा जाये तथा मेट्रोलॉजिकल डाटा सिस्टम, वैरियेबल मैसेज साइन, मोबाइल रेडियो कम्यूनिकेशन को फिलहाल न रखा जाये।

(5) एडवांस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम' में पूर्व में सम्मिलित ऑप्टिकल फाइवर केबिल को किसी टेलीकॉम कम्पनी द्वारा स्वयं के व्यय पर स्थापित करने हेतु भारत सरकार/उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्ध नीतियों के अन्तर्गत ऑप्टिकल फाइवर केबिल के लिये एक्सप्रेसवे के मार्ग में भूमि उपलब्ध कराने के सापेक्ष इच्छुक टेलीकॉम कम्पनियों से यूपीडा को अलग-अलग स्थान पर बिना शुल्क की बैण्ड विड्थ उपलब्ध कराने/किराये के रूप में अतिरिक्त धनराशि प्रदान करने के लिये प्रस्ताव आमंत्रित किया जाय।

(6) 'एडवांस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम' में तेज रफ्तार वाहनों की गति रिकॉर्ड करने के लिए आवश्यक व्यवस्था के साथ-साथ वाहन के नम्बर प्लेट को रिकॉर्ड करने की क्षमता वाले कैमरों को प्रत्येक कैरिजवे में 10 स्थलों पर लगाने की व्यवस्था को भी प्रथम फेज में सम्मिलित किया जाय।

(7) 'आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना' में ए0टी0एम0एस0 की स्थापना हेतु एजेन्सी के चयन से सम्बन्धित पूर्व में प्रचलित प्रक्रिया को निरस्त कर पुनः नये सिरे से बिड प्रक्रिया प्रारम्भ की जाय।

(8) परियोजना में 'एडवांस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम' (ए0टी0एम0एस0) के प्राविधान सम्बन्धी कार्य के लिए किसी उपयुक्त परामर्शी के चयन की कार्यवाही नये सिरे से प्रारम्भ की जाय।

(9) परियोजना में ऑक्जीलरीज़ सुविधाओं/परिसम्पत्तियों से मार्ग प्रशुल्क के अतिरिक्त वित्तीय स्रोत से अर्जन, ऑप्टिक फाइवर केबल की डक्ट डालने/बैण्ड विथ को सबलीज करने, प्रस्तावित गौड़ सुविधाओं से सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी पर प्रचालन, रख-रखाव एवं हस्तान्तरण एवं होर्डिंग हेतु स्थान को पट्टेदारी पर देने आदि से सम्बन्धित परामर्शी कार्य हेतु किसी उपयुक्त परामर्शी के चयन की कार्यवाही नये सिरे से प्रारम्भ की जाय।

(10) 'आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे' पर समुचित पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित करने हेतु गृह विभाग से अनुरोध कर लिया जाये, ताकि एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो सके। उन्हें यह भी सूचित कर दिया जाये कि उक्त कार्य हेतु उनके द्वारा वांछित सुविधा एवं आवश्यक धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी, ताकि उनके द्वारा सुरक्षा व्यवस्था एवं चालान आदि की कार्यवाही सुचारु रूप से करायी जा सके।

http://shasanadesh.up.nic.in

(11) प्राधिकरण की एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के आस-पास के क्षेत्रों में औद्योगिक विकास की अपार संभावनायें हैं, अतः इन क्षेत्रों में औद्योगिक इकाईयों की स्थापना एवं अन्य विकास हेतु यथोचित कार्यवाही की जाय। एक्सप्रेसवे के समीप भूमि अधिग्रहित कर लैण्ड बैंक तैयार किया जाये, जिससे औद्योगिक इकाईयों की स्थापना कर क्षेत्र का विकास किया जा सके। इन औद्योगिक क्षेत्रों के लिये एक्सप्रेसवे से प्रवेश की उचित व्यवस्था यूपीडा द्वारा की जाये।

(12) एन0एच0ए0आई0 द्वारा निर्माणकताओं के चयन हेतु वर्तमान में ई-टेंडरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रित की जा रही हैं। समिति द्वारा 'पूर्वान्चल एक्सप्रेसवे परियोजना' हेतु भी ई-टेंडरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रित करने के निर्देश निर्गत किये गये हैं, तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

(13) उपरोक्त प्रस्तर 3, 8 एवं 9 में प्रस्तावित कार्यों के लिये किसी एक ही उपयुक्त परामर्शी के चयन की प्रक्रिया 'सिंगल स्टेज टू इनवलप बिडिंग सिस्टम' (आर0एफ0क्यू0-कम-आर0एफ0पी0) के आधार पर करते हुए यथाशीघ्र परामर्शी का चयन किया जाय, जिससे परियोजना के शेष कार्य शीघ्र पूर्ण करके एक्सप्रेसवे पर नियमित यातायात चालू कर टोल कलेक्शन भी प्रारम्भ किया जा सके।

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्तानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

आलोक सिन्हा
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in